बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

ज्ञाप संख्या–1/पी05–30–01/2016 गृ0आ0 / श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 (2001), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना (सम्प्रति पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में) द्वारा निकट भविष्य में सेवानिवृत होने एवं पुलिस उप–महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति रोकने की कार्रवाई से अपनी असहमति का उल्लेख करते हुए वरीय पदाधिकारियों के विरूद्ध आधारहीन एवं बेबुनियाद आरोपों के आधार पर दुष्प्रचार के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेन्स आयोजित किये जाने हेतु अनुमति की मांग की गयी जिसे ALL India Service (Conduct) Rule 1968 के नियम–3 एवं 7 के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया । प्रेस कॉन्फ्रेन्स आयोजित किये जाने के संबंध में पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना द्वारा श्री अहमद को परामर्शित किया गया कि ALL India Service (Conduct) Rules, 1968 एवं Bihar Govt. (Conduct) Rules, 1976 के अन्तर्गत प्रतिपादित नियमन का अनुसरण करें ।

2. और चूँकि श्री अहमद, भा0पु0से0 के हवाले से दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान टाईम्स'' (पटना से प्रकाशित) दिनांक 11.02.2016 को "upset IPS man wants permission to expose Bihar Chief Secretary" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें उनके द्वारा अपने वरीय पदाधिकारियों के विरूद्ध गैर जिम्मेदाराना ढंग से मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद टिप्पणियाँ की गयी ।

3. और चूँकि श्री अहमद के इस स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, आदेशोल्लंघन एवं अमर्यादित आचरण से संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सरकार द्वारा विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमवाली, 1969 के नियम–3 (1) (ए) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या–3171, दिनांक 21.04.2016 द्वारा श्री अहमद को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया ।

4. और चूँकि श्री अहमद के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–8 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय लेते हुए विभागीय ज्ञापांक–3655, दिनांक 10.05.2016 द्वारा श्री अहमद को अपने बचाव में लिखित बयान 15 दिनों के अंदर समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया एवं यह भी बताने हेतु कहा गया कि वे साक्षात् सुनवाई करना चाहते है अथवा नहीं ?

5. और चूँकि श्री अहमद द्वारा अपना बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा किसी भी आरोप के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, फलतः उनका स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया । अतः उनके द्वारा समर्पित लिखित बचाव–बयान को समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–8 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया ।

अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–8 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । साथ हीं पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को निदेशित है कि वे पुलिस मुख्यालय अथवा अपराध अनुसंधान विभाग में पदस्थापित पुलिस अधीक्षक स्तर के एक पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नामित करें ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी (विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना) एवं श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 (2001), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना (सम्प्रति पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में) कार्यालय को भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/पी05–30–01/2016 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि :– संकल्प में विनिर्दिष्ट लेख्यों की प्रति के साथ विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी (विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि जॉच की कार्यवाही तुरंत आरम्भ कर दिया जाय एवं अपना जॉच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ।

<u>अनुलग्नक :–</u> श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 के विरूद्ध निर्गत ज्ञापन एवं आरोपों की विवरणी साक्ष्य सूची में अंकित सभी अभिलेख सहित ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/पी05–30–01/2016 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि श्री अहमद को संकल्प का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

3. साथ ही अनुरोध है कि उपयुक्त पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु नामित करने की कृपा की जाय ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–18/2012 गृ0आ0 9231 **/पटना, दिनांक** 29 **नवम्बर, 2016**

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 (2001), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना (सम्प्रति पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना (website : www.home.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव